भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3361

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

रावी-ब्यास नदी जल की उपलब्धता

3361. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पंजाब के अनुरोध पर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर रावी-ब्यास नदी जल की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार पंजाब के 76.5 प्रतिशत ब्लॉकों में अत्यधिक दोहन के कारण राज्य में अत्यधिक तेजी से गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए किस प्रकार योजना बना रही है;

(ग) क्या पंजाब में विशेष रूप से भूजल संरक्षण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तराधिकारी राज्य सिद्धांत के तहत सरकार का पंजाब द्वारा यमुना जल के लिए किए गए दावे पर क्या रुख है, जैसा कि उक्त राज्य का तर्क है कि हरियाणा को रावी-ब्यास जल से लाभ होता है और यमुना को जल बंटवारे के दायरे से बाहर रखने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार यह देखते हुए कि पंजाब ने सिंचाई के लिए नहर के जल का उपयोग 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दिया है, राज्य को उसकी सिंचाई अवसंरचना को और अधिक उन्नत बनाने और भूजल पर निर्भरता को कम करने के लिए कोई तकनीकी या वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रावी-ब्यास न्यायाधिकरण के निर्णय आने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): वर्ष 1981 के समझौते के अनुसार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के बीच रावी-ब्यास के अधिशेष जल का आवंटन वर्ष 1921-1960 (17.17 एमएएफ) की प्रवाह श्रृंखला के आधार पर किया गया था। इस समझौते में यह भी प्रावधान है कि किसी भी वर्ष में 17.17 एमएएफ के आंकड़े में कोई परिवर्तन होने पर, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली जल आपूर्ति के लिए किए गए आवंटन में बिना किसी परिवर्तन के शेयरों में यथानुपात परिवर्तन किया जाएगा।

(ख): देश के डायनामिक भूजल संसाधनों का आकलन वर्ष 2022 से केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। भूजल संसाधन आकलन-2024 के अनुसार, पंजाब में कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 27.66 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) आंका गया है, जिसमें से 26.24 बीसीएम सिंचाई के उपयोग के लिए है।

153 मूल्यांकन इकाइयों में से, 115 मूल्यांकन इकाइयों (75.16%) को 'अत्यधिक दोहन', 4 ब्लॉकों (2.61%) को 'गंभीर', 12 ब्लॉकों (7.84%) को 'अर्ध-गंभीर' और 22 ब्लॉकों (14.38%) को 'सुरक्षित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन विकास से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही मौजूदा स्कीमों के संदर्भ में एक प्रेरक (कैटलिस्ट) बनने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और कुछ मामलों में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है। तथापि, देश में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं:

- पंजाब राज्य में 50369 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण अध्ययन किया गया है। एनएक्यूआईएम अध्ययनों के आधार पर भूजल प्रबंधन योजनाएँ तैयार की गई हैं और राज्य और जिला अधिकारियों के साथ रिपोर्टें साझा की गई हैं।

- भूजल प्रबंधन के लिए मुद्दा आधारित वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करने के लिए उच्चतर जानकारी प्राप्त करने हेतु पंजाब में लुधियाना और संगरूर जिलों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्रमशः खराब गुणवत्ता और अति-दोहित क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत एनएक्यूआईएम 2.0 अध्ययन किए गए थे।

- पंजाब के 23 जल संकटग्रस्त जिलों के लिए 1:50000 के पैमाने पर 48537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए कृत्रिम पुनर्भरण हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है तथा राज्य सरकार के साथ साझा किया गया है। 485366 कृषि तालाबों तथा 689761 छत वर्षा जल संचयन संरचनाएं प्रस्तावित की गई हैं।

- 20 जिलों के लिए जीआईएस आधारित रिचार्ज प्लान तैयार किया गया है।

- पंजाब के विभिन्न भागों में कुल 34 जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 3148 व्यक्तियों ने भाग लिया। भागीदारीपूर्ण भूजल प्रबंधन के महत्व पर जागरूकता को बढ़ावा देने और भूजल पर निर्भरता कम करने तथा भूजल स्तर को पुन:स्थापित करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 के पश्चात से टियर-II और टियर-III स्तर के प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक टियर-II के कुल 06 और टियर-III के 15 प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं।

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की पक्षधर है। शहरी क्षेत्रों में, जहाँ भी तकनीकी-आर्थिक रूप से संभव हो, वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उपयोग योग्य जल की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। वर्षा जल संचयन के कार्यान्वयन में जल विज्ञान, भूजल संदूषण, प्रदूषण और स्प्रिंग बहाव जैसे मापदंडों की वैज्ञानिक निगरानी शामिल होनी चाहिए।

- इसके साथ-साथ, इस मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया है, ताकि वे इसके विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल कानून बना सकें, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक, 21 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल कानून को अपनाया और कार्यान्वित किया है। मॉडल विधेयक में यह परिकल्पना की गई है कि शहरी क्षेत्रों में, इमारतों की छतों और अन्य खुले क्षेत्रों से उपलब्ध वर्षा जल का उपयोग भूजल पुनर्भरण के लिए लाभकारी रूप से किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में व्यवहार्य वर्षा जल संचयन संरचनाओं में पुनर्भरण गड्ढे, खाई, मौजूदा ट्यूबवेल या खुले हुए कुएं आदि शामिल हैं।

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज, 2016 जारी किया है, जिसमें 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार के प्लॉट वाले सभी प्रकार के भवनों के लिए वर्षा जल संचयन की सिफारिश की गई है। अब तक, 35 राज्यों ने अपने-अपने बिल्डिंग बायलॉज में इन प्रावधानों को शामिल कर लिया है।

(ग): भूजल प्रबंधन एवं विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) स्कीम पंजाब सहित पूरे देश में कार्यान्वित एक सतत केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम है। इस स्कीम को वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है। जीडब्ल्यूएमआर स्कीम के अंतर्गत, भूजल संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करने के उद्देश्य से पंजाब सहित पूरे देश में भूजल संसाधनों की खोज, निगरानी, मूल्यांकन और प्रबंधन से संबंधित कार्यकलाप किए जाते हैं।

(घ): ओखला तक यमुना नदी के उपयोग योग्य सतही जल संसाधनों के आवंटन के लिए, वर्ष 1994 में पांच सह-बेसिन राज्यों अर्थात हरियाणा, उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित), राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, इन सह-बेसिन राज्यों द्वारा एक्स-ताजेवाला और एक्स-ओखला में उक्त बेसिन के पानी का उपयोग उनकी सिंचाई और पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा था। तदनुसार, यमुना नदी (ओखला तक) के उपयोज्य जल संसाधन उपरोक्त सह-बेसिन राज्यों को आवंटित किए जाते हैं।

(ड़): पंजाब राज्य में एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना (शाहपुरकंडी बांध परियोजना), दो विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाएं (सरहिंद फीडर नहर की रीलाइनिंग और राजस्थान फीडर नहर की रीलाइनिंग) और एक कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम) परियोजना (कोटला शाखा भाग-II) हैं, जिन्हें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है। इन चालू परियोजनाओं के लिए, कुल 1,330.38 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इसके अलावा, पंजाब में कंडी नहर विस्तार चरण II और प्रथम पटियाला फीडर और कोटला शाखा परियोजनाएं रीहेबिलेशन नामक दो परियोजनाएं पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत पूरी हो चुकी हैं।

इन परियोजनाओं के माध्यम से नई सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा रहा है, क्षतिग्रस्त हुई सिंचाई क्षमता को पुनः स्थापित किया जा रहा है, सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को पाटा जा रहा है, ताकि सिंचाई में सतही जल का योगदान बढ़ाया जा सके।

(च): रावी ब्यास जल अधिकरण (आरबीडब्ल्यूटी) का गठन अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 02.04.1986 को किया गया था। अधिकरण ने दिनांक 30.01.1987 को आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5(2) के तहत अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इसके अलावा, अधिकरण को आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से ऐसे स्पष्टीकरण अथवा मार्गदर्शन देने के लिए संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिन्हें वह उचित समझे। चूंकि, आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5(3) के तहत आगे की रिपोर्ट अभी भी अधिकरण द्वारा प्रस्तुत की जानी है, इसलिए अधिकरण द्वारा आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय, समय-समय पर बढ़ाया गया है। इसे पिछली बार दिनांक 02.08.2024 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3114 (ई) द्वारा दिनांक 05.08.2025 तक बढ़ाया गया था।

*****